न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –31 / 2017

वादी	प्रतिवादीगण
नरसीराम पुत्र चान्दाजी जाति कुम्हार निवासी सिंघावास तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. रणछोड़ाराम पुत्र चान्दाजी 2. सोनाराम पुत्र चान्दाजी 3. छगनाराम पुत्र चान्दाजी 4. छोगाराम पुत्र चान्दाजी 5. मसराराम पुत्र चान्दाजी 6. पारूदेवी पुत्री चान्दाजी जातियान कुम्हार निवासीयान सिंघावास तहसील रानीवाडा जिला जालोर 7. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 8. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 3, ,4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. प्रतिवादी संख्या 2, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
4. प्रतिवादी संख्या 7 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 31.03.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा सिंघावास तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पुश्तैनी सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 85 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 86 रकबा 4. 29 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नबंर 167 रकबा 1.36 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 171 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नबंर 178 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 215 रकबा 2.25 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 8.84 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रणछोडा, सोनाराम, छगनाराम, छोगाराम, नरसीराम, मसराराम, नि. चान्दा, रणछोडाराम, सोनाराम, छगनाराम, छोगाराम, नरसीराम, मसराराम, पिसरान चान्दा, पारूदेवी पुत्री चान्दाराम कौम कुम्हार साकिन खातेदार दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्व.चान्दाराम के कायम मुकाम वारीसान है। उपरोक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है, उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच मौके पर विधिवत बंटवाडा

नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 6 उक्त आराजी पर काश्त अपनी सुविधानुसार करते आ रहे है। उक्त आराजी में वादी का 1/7 + 1/49 बराबर 8/49 हैक्टर तथा इसी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का भी उक्त आराजी में 8/49 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/49 हिस्सा खातेदारी का है।

2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 20.8.2017 को वादी आराजी की देखभाल करने गया हुआ था तब प्रतिवादी संख्या 1 से 6 उसे वहां मिले तो वादी ने उन्हें वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादी को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से मना कर दिया तथा लाठी के बल पर बैदखल करने की एलानियां धमकी दी। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 11.9.2017 को वादी ने पुनः प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु काह तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादी को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से इंकार कर दिया तथा वादी को एलानियां धमकी दी कि हम तुम्हें उक्त आराजी में काश्त भी नहीं करने देगें तथा तुमने ज्यादा किया तो तुम्हें लाठी के बल पर उक्त आराजी से बैदखल कर देगें। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।

3. इस्तदुआ वादी है इस आशय की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे किः— यह कि आराजी मौजा सिंधावास तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 85 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 86 रकबा 4.29 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नबंर 167 रकबा 1.36 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 171 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नबंर 178 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 215 रकबा 2.25 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 8.84 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व जमीन की किस्म उपजाउ व अनुपजाउ के आधार पर बंटवाडा किया जाकर उक्त आराजी में से वादी को 8/49 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 8/49 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/49 हिस्सा अलग—अलग बंट में दिया जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी फरमावें। व बाद बंटवाडा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 उपरोक्त आराजी में से वादी के बंट की आराजी में उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखलन्दाजी करावे।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 2, 6 की ओर से इकबालिया जवाब दिया गया कि वादी की इस्तदुआ माफिक वादी का वाद डिक्री फरमावें। व प्रतिवादी संख्या 1, 3, ,4, 5 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 1, 3, ,4, 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिनके अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपने वाद पत्र में वर्णित इस्तदुआ माफिक अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। उक्त विवादीत आराजी मौजा सिंधावास तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 85 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 86 रकबा 4.29 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नबंर 167 रकबा 1.36 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 171 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नबंर 178 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 215 रकबा 2.25 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 8.84 हैक्टर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा किया जावे तथा इसी माफिक तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी की जावे।

6. दिनांक 05.11.2019 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा सिंघावास के खसरा नबंर 85, 86, 167, 171, 178, 215 रकबा क्रमश 0.01, 4.29, 1.36, 0.06, 0.87, 2.25, हेक्टेयर, जुमले रकबा 8.84 हैक्टेयर आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच मीटस एण्ड बाउण्डस के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को दिये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2020/71 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2021/02 दिनांक 11.10.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है।
7. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। व उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस तथ्यों पर मनन करने व पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों पर मनन करने पर प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	सोनाराम पुत्र चान्दा जाति कुम्हार सा. देह रहन – SBI शाखा रानीवाडा	86	4.29	1.40	चा.दो.	काला	40.60
2.	छोगाराम पुत्र चान्दा जाति कुम्हार सा.देह खातेदार रहन– SBI शाखा रानीवाडा	86	4.29	1.39	बा.दो. जा.दो.	हरा	17.40 6.32
		85	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
3.	मसराराम पुत्र चांदा जाति कुम्हार सा0देह	86	4.29	1.40	जा.दो.	नीला	11.20
4.	सोनाराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, छोगाराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, मसराराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, जाति कुम्हार सा. देह रहन सोनाराम व छोगाराम का हिस्सा SBI शाखा रानीवाडा	86	4.29	0.10	जा.दो.	भूरा	0..80

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

5.	छगनाराम पुत्र चांदा जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा रानीवाडा	167	1.36	1.36	बा.दो.	पीला	4.08
		171	0.06	0.06	गै.मू.		
6.	रणछोडा पुत्र चांदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा रानीवाडा	215	2.25	1.40	बा.दो.	गुलाबी	4.20
7.	नरसीराम पुत्र चांदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा रानीवाडा	178	0.87	0.87	बा.दो.	लाल	2.61
		215	2.25	0.63	बा.दो.		5.04
8.	पारूदेवी पुत्री चांदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार	215	2.25	0.16	बा.दो.	नीला	1.28
9.	रणछोडा पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, नरसीराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3 पारूदेवी पुत्री चांदा हिस्सा 1/3 कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	215	2.25	0.06	बा.दो.	नारंगी	0.18

8. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
नरसीराम पुत्र चान्दाजी जाति कुम्हार निवासी सिंघावास तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. रणछोड़ाराम पुत्र चान्दाजी 2. सोनाराम पुत्र चान्दाजी 3. छगनाराम पुत्र चान्दाजी 4. छोगाराम पुत्र चान्दाजी 5. मसराराम पुत्र चान्दाजी 6. पारूदेवी पुत्री चान्दाजी जातियान कुम्हार निवासीयान सिंघावास तहसील रानीवाडा जिला जालोर 7. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 8. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 31/2017

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री अमृत कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई व प्रतिवादी संख्या 2, 6 की ओर से श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	सोनाराम पुत्र चान्दा जाति कुम्हार सा. देह रहन – SBI शाखा रानीवाडा	86	4.29	1.40	चा.दो.	काला	40.60
2.	छोगाराम पुत्र चान्दा जाति कुम्हार सा.देह खातेदार रहन– SBI शाखा रानीवाडा	86	4.29	1.39	बा.दो. जा.दो.	हरा	17.40 6.32
		85	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
3.	मसराराम पुत्र चांदा जाति कुम्हार सा0देह	86	4.29	1.40	जा.दो.	नीला	11.20

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

4.	सोनाराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, छोगाराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, मसराराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, जाति कुम्हार सा. देह रहन सोनाराम व छोगाराम का हिस्सा SBI शाखा रानीवाडा	86	4.29	0.10	जा.दो.	भूरा	0..80
5.	छगनाराम पुत्र चांदा जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा रानीवाडा	167	1.36	1.36	बा.दो.	पीला	4.08
		171	0.06	0.06	गै.मू.		
6.	रणछोडा पुत्र चांदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा रानीवाडा	215	2.25	1.40	बा.दो.	गुलाबी	4.20
7.	नरसीराम पुत्र चांदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा रानीवाडा	178	0.87	0.87	बा.दो.	लाल	2.61
		215	2.25	0.63	बा.दो.		5.04
8.	पारूदेवी पुत्री चांदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार	215	2.25	0.16	बा.दो.	नीला	1.28
9.	रणछोडा पुत्र चांदा हिस्सा 1/3, नरसीराम पुत्र चांदा हिस्सा 1/3 पारूदेवी पुत्री चांदा हिस्सा 1/3 कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार	215	2.25	0.06	बा.दो.	नारंगी	0.18

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31.03.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	1	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	3	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested